प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-212/2022 दिनांक 01.08.2021)

दिनांक- 01.08.2021 को 1-August-2022जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

गरीब व भोलेभाले लोगों को लक्ष्य बनाकर उनके नाम से बैंक एकाउन्ट खुलवाकर व फर्जी सिम से लिंक कराकर खाता बेचने वाले अन्तर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, रूपया 1,00,000/- नगद/45 सिम/10 ATM कार्ड/24 आधार कार्ड बरामद-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री संदीप वर्मा के नेतृत्व में जनपद में साइबर अपराध की रोकथाम एवं साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर सेल कुशीनगर एवं थाना नेबुआ नौरंगिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना नेबुआ नौरंगिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 249/22 धारा 419/420/379/411/120बी भादवि व 66डी आईटी एक्ट से सम्बंधित 03 नफर अभियुक्त 1. राज कुमार भारती पुत्र अक्षयवर भारती सा0 चिलगोड़ा कृपापट्टी थाना जटहाबाजार जनपद कुशीनगर हा0मु0 नन्दा नगर थाना कैंट जनपद गोरखपुर, 2.राजेश साहनी पुत्र जयंत्री साहनी सा0 रामपुर नितिशनगर थाना लौकरिया जनपद पश्चिमी चंपारण (बिहार), 3.रामनाथ पुत्र भोला सा0 बहेलिया (भुजौली बुजुर्ग) थाना खड्डा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। *पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25 हजार रुपये का पुरस्कार भी पुलिस टीम को दिया गया।*

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 249/22 धारा 419/420/379/411/120बी भादवि व 66डी आईटी एक्ट।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.राज कुमार भारती पुत्र अक्षयवर भारती सा0 चिलगोड़ा कृपापट्टी थाना जटहाबाजार जनपद कुशीनगर हा0मु0 नन्दा नगर थाना कैंट जनपद गोरखपुर

2.राजेश साहनी पुत्र जयन्त्री साहनी सा0 रामपुर नितिशनगर थाना लौकरिया जनपद पश्चिमी चंपारण (बिहार)

3.रामनाथ पुत्र भोला सा0 बहेलिया (भुजौली बुजुर्ग) थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

1. पीड़ितो के फर्जी खाते खुलवाकर साइबर हैकरों को बेचने के एवज में बरामद रूपया 100,000 /- नगद
2. 45 अदद फर्जी सिम कार्ड
3. 10 अदद एटीएम कार्ड (भिन्न भिन्न प्रोवाइडेड कम्पनियो के)
4. 03 अदद मोबाइल फोन
4. अपराध में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर प्लस रजि0सं0 UP57AD3995
5. 24 अदद आधार कार्ड
6. दो अदद पासबुक व एक अदद चेक बुक

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि गरीब एवं भोलेभाले लोगों को पैसे का लालच देकर भिन्न-भिन्न बैकों में एकाउंट खुलवाते है उस खाते में विजय कुशवाहा एंव राज कुमार द्वारा उपलब्ध कराये गये फर्जी सिम को लिंक करवा कर खाते का पासबुक व एटीएम कार्ड अपने पास रख लेते थे तथा खातो को साइबर अपराधियों/हैकरों को रू- 8000/- में बेच देते हैं। खोले गये खाते में तत्काल SBI YONO एक्टिवेट करने के लिए साइबर अपराधियों द्वारा रू0 4000/- खाते में जमा करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। जिसके उपरान्त तुरन्त बैंक शाखा से खाते का नेटबैंकिंग यूजरनेम व पासवर्ड प्राप्त हो जाता है जिसकी सहायत से SBI YONO एक्टिवेट कर लेते है। SBI YONO एक्टिवेट करने के उपरान्त उसके यूजरनेम व पासवर्ड का स्क्रीनशॉट/लिंक सिम कार्ड/ए0टी0एम0 कार्ड साइबर अपराधियों को भेज देते है। जिसमें साइबर अपराधियों/हैकरों द्वारा अवैध रुप से आनलाइन लाखों रुपये ट्रांसफर करके निकाल लिया जाता है। जब खाते में अत्यधिक लेन देन हो जाता है और बैंक से अधिक लेन-देन का नोटिस आ जाती है तो उस खाते में पैसा ट्रांसफर करना बन्द कर देते है और पुनः दूसरे लोगों को लालच का झांसा देकर उनका खाता खोलवाकर उसे पैसा ट्रांसफर करके निकालते हैं तथा अबतक बरामद मोबाईल डेटा के अनुसार कुल सं0- 2295 फाइलें प्राप्त हुई जिसमें बैंक खाते, नेट बैंकिंग का यूजर नेम व पासवर्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड व आनलाईन बैंकिंग एप्लिकेशन शामिल है।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 मनोज कुमार पन्त साइबर सेल 2. प्र0नि0 दिनेश कुमार तिवारी थाना नेबुआ नौरंगिया 3.उ0नि0 दीपक सिंह 4.हे0का0 मानवेन्द्र सिंह 5.हे0का0 अखिलेश कुमार 6.हे0का0 अरविन्द गिरि 7.का0 विनोद यादव 8.का0 परमेश यादव 9.महिला आरक्षी पूनम कुमारी 10. का0 अनिल कुमार यादव 11.का0 चन्द्रभान वर्मा 12. का0 विजय कुमार चौधरी 13.म0

आ0 नेहा यादव

अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही-(कुल-03)
थाना तरयासुजान-
थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त राजकुमार पुत्र अम्बिका यादव नि0बरईपट्टी थाना जादोपुर गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 90 शीशी देशी शराब बन्टी बबली बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 413/2022 धारा 60 आबकारी अधि0 में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
थाना को0 पडरौना-
थाना को0पडरौना पुलिस द्वारा दो नफर अभियुक्त 1.प्रेमचन्द पुत्र स्व0 महेश प्रसाद सा0 लालपत नगर को0 पडरौना जनदप कुशीनगर, 2. हीरा साहनी पुत्र नरेश साहनी सा0 खरसाल बबुईया थाना को0पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 362/22 व 363/22 धारा 60 आबकारी अधि0 में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोदय कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में आज दिनांक 01.08.2022 को थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर पनियहवा रेलवे क्रासिंग पर चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल नम्बर BR 22 AU 0895 की डिग्गी से एक पीले प्लास्टिक के झोले में 2 किग्रा0 अवैध गांजा बरामद कर अभियुक्त रवि प्रकाश चौधरी पुत्र जगमोहन चौधरी सा0 सिरजी ब्रह्मपुर थाना बगहा जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधारपर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 133/22 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 133/22 धारा 8/20 NDPS ACT

गिरफ्तार अभियुक्त-
रवि प्रकाश चौधरी पुत्र जगमोहन चौधरी सा0 सिरजी ब्रह्मपुर थाना बगहा जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार

बरामदगी-
एक पीले प्लास्टिक के झोले में 2 किग्रा अवैध गांजा

बरामद/गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री रामसहाय चौहान थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
2. का0 यशवंत यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
3.का0 शशिकेश गोस्वामी थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
4.का0 मनोज कुमार सिंह थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
5.का0 धनंजय कुमार थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर

<u>*तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का किया गया सफल अनावरण, चोरी गये सामान के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार-*</u>

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.08.2022 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा खिरिया मोड के पास से मु0अ0सं0 158/22 धारा 454,380 भादवि0 की घटना में चोरी के माल के साथ अभियुक्त शुभम गौंड पुत्र रामाश्रय प्रसाद सा0 खिरीया थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3 जोडा पायल, 4 जोडा बिछीया सफेद धातू व अभियुक्त की जमा तलाशी से 350 रुपया नगद बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>*गिरफ्तार अभियुक्त-*</u>

शुभम गौंड पुत्र रामाश्रय प्रसाद सा0 खिरीया थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

<u>*विवरण बरामदगी-*</u>

1.3 जोडा पायल
2.4 जोडा बिछीया सफेद धातू
3.350 रुपया

<u>*गिरफ्तार करने वाली टीमः-*</u>

1.उ0नि0 श्री आशुतोष जायसवाल थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
2.हे0का0 कुश कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
3.हे0का0 अजय कुमार सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
4.का0 विजय बहादुर सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा नफर 17 अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-0, ई-चालान-37 वाहन।
2.107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-46, व्यक्ति-160
3.34/290 भादवि में कार्यवाही- 35
4.110 जा0फौ0 में कार्यवाही-26
5.आबकारी अधि0 में की गयी कार्यवाही-मु0-03, अभि0-03, बरामदगी-20 ला0 कच्ची, 90 शीशी देशी शराब।
6.वांछित में की गयी कार्यवाही-(कुल-05)
7.जनपद में कुल गिरफ्तारी – (कुल-25)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर